न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/101/2018	23–08–2018	05–08–2019

1– बालकिशन पुत्र स्व. गोकुल जाति मीना निवासी मीनापाडी, गालिब सैयद, अलवर जिला अलवर राजस्थान।

–अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार अलवर, जिला अलवर राज0।
2– शांति पुत्री स्व. गोकुल पत्नी महोदव प्रसाद जाति मीना निवासी मीनापाडी अलवर हाल आबाद बगड़ राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान

–असल रेस्पाडेन्ट्स

3– गंगालहरी पुत्र स्व. गोकुल पत्नी महोदव प्रसाद जाति मीना निवासी मीनापाडी अलवर हाल आबाद बगड़ राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान

–तरतीबी रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार अलवर नामान्तरकरण संख्या 1458 वाके बल्लाबोड़ा तहसील अलवर जिला अलवर दिनांक 23.10.2017

उपस्थितः–
01. श्री जगदीश चन्द्र सतीजा

–वकील अपीलान्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 23.10.2017 जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1458 वाके ग्राम बल्लाबोडा तहसील अलवर जिला अलवर बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त आदेश की जानकारी मिन अपीलांट को समय पर नहीं हो सकी। विवादित आराजी मिन अपीलांट व असल रैस्पो0 2 तथा तरतीबी रैस्पो0 के पिता श्री गोकुल पुत्र खैराती जाति मीना की खातेदारी की आराजी है। जिनका देहांत हो चुका है। जिनके मिन अपीलांट व तरतीबी रैस्पो0 3 ही वारिस है। हमारी जाति मीना है। हमारी रितिरिवाज अनुसार बहन बेटियों का पिता की जायदाद में कोई हक व अधिकार नहीं होता है। मीना जातियों के सदस्य पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं हेाता है। मिन अपीलांट सीधा साधा व्यक्ति है। मिन अपीलांट को तरतीबी रैस्पो0 3 पर पूर्ण विश्वास रहा है। क्योंकि पिता की अन्य आराजी की देखभाल भी तरतीबी रैस्पो0 3 करता आ रहा है। विवादित आराजी शहर के बीच में स्थित होने के कारण नगर विकास न्यास के तहत आ गयी है। उक्त संबंध में तरतीबी रैस्पो0 3 ने मिन अपीलांट से खाली पैपर पर हस्ताक्षर करा लिये। जानबूझकर रैस्पो0 2 व तरतीबी रैस्पो0 3 आपस में साझ–बाझ हो गये और मृतक गोकुल का विरासत इंतकाल दर्ज व स्वीकृत करा लिया। अपील बिना देरी के अन्दर अवधि में पेश की गई है। दफा 5 मियाद अधिनियम प्रा0पत्र अलग से पेश है। आलोच्य आदेश दिनांक 23.10.2017 एकपक्षीय आदेश है। नियमानुसार आलोच्य आदेश पारित करने से पहले अपीलांट को सुनवाई का मौका दिया जाना था जो नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से निर्णय पारित किया है। मृतक गोकुल जाति से मीना थे इसके बावजूद उन्होनें गोकुल की विरासत का इंतकाल हिन्दु उत्तराधिकार के तहत दर्ज व स्वीकार कर दिया। अपीलांट व रैस्पो0 जाति से मीना है। मीना जाति में लड़की को

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

मृतक पिता की चल अचल सम्पत्ति पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा प्रतिपादीत सिद्धांत के विपरित तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 को नजर अंदाज कर आलोच्य आदेश पारित किया है। जो स्वतः ही शुन्य आदेश है। रैस्पो0 2 को कभी भी विवादित आराजी से कोई लेना देना नहीं रहा। ना कभी कब्जा रहा हैं। रैस्पो0 2 विवाह के बाद अपने ससुराल में रह रही है। तरतीबी रैस्पो0 3 द्वारा धोखे से विश्वासघात करते हुए अपीलांट की सादगी का नाजायज फायदा उठाया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.10.2017 इंतकाल विरासत संख्या 1458 वाके ग्राम बल्लाबोड़ा तहसील अलवर अपास्त फरमाया जाकर मृतक गोकुल पुत्र खैराती जाति मीना का संशोधित विरासत इंतकाल कानूनी जायज पुत्रान अपीलांट बालकिशन व तरतीबी रैस्पो0 3 गंगालहरी के हक में स्वीकृत कराये जाने के आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन व वकील अपीलांट द्वारा पेश नजिरो से स्पष्ट है कि उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान मीना जाति के व्यक्तिओं पर लागू नहीं होते है, क्योंकि इन प्रावधानों को मीना जाति के व्यक्तिओं पर लागू करने के संबंध में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि नियमों के आलोक में जांच कर पुनःविधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार अलवर को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 05–08–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/8/19

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)